



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268878
CG-DL-E-29122025-268878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5823]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947

No. 5823]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6022(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

- कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

- अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

- i. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- ii. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- iii. डॉ. बिनोद खैतान, पूर्व प्रोफेसर (डर्मटोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- i. डॉ. (प्रोफेसर) विजय लक्ष्मी नाग, विभागाध्यक्ष (माइक्रोबायोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
- ii. डॉ. भावेश मोदी, निदेशक, आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद
- iii. डॉ. संजीव हांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, त्वचा विज्ञान एवं यौन रोग, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
- iv. डॉ. कुलदीप सिंह, अध्यक्ष (शिशुरोग), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	
धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन संस्थान निकाय के अध्यक्ष	14.08.2025 को जारी का. आ. 3771(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र

		आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 19082025-265507 के तहत प्रकाशित
10.	डॉ. बिनोद खैतान, पूर्व प्रोफेसर (डर्मटोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. (प्रोफेसर) विजय लक्ष्मी नाग, विभागाध्यक्ष (माइक्रोबायोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	
12.	डॉ. भावेश मोदी, निदेशक, आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	
13.	डॉ. संजीव हांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, त्वचा विज्ञान एवं यौन रोग, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	
14.	डॉ. कुलदीप सिंह, अध्यक्ष (शिशुरोग), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	
धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री विजय बघेल, संसद सदस्य, लोक सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 258(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 15012025-260239 के तहत प्रकाशित
16.	श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत, संसद सदस्य, लोक सभा	
17.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 259(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 15012025-260238 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/45/2024-PMSSY-IV(8294182)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2025

S.O. 6022(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Raipur** :

I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh

II. Members under clause (d) of Section 4:

- Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance

- ii. Director, Indian Institute of Management, Raipur – Representative of Ministry of Education

III. Members under clause (e) of Section 4:

- i. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
 ii. Chief Secretary, Government of Chhattisgarh or his/her nominee
 iii. Dr. Binod Khaitan, Ex. Prof. (Dermatology), AIIMS, New Delhi

IV. Members under clause (f) of Section 4:

- i. Dr. (Prof.) Vijay Laxmi Nag, HoD (Microbiology), AIIMS, Jodhpur
 ii. Dr. Bhavesh Modi, Director, ICMR-National Institute of Occupational Health, Ahmedabad
 iii. Dr. Sanjeev Handa, Prof. & Head, Dermatology, Venereology, PGIMER, Chandigarh
 iv. Dr. Kuldeep Singh, Head (Paediatrics), AIIMS, Jodhpur

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, Indian Institute of Management, Raipur – Representative of Ministry of Education	
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. Budhendra Kumar Jain President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3771(E) dated 14.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-19082025-265507
10.	Dr. Binod Khaitan, Ex. Prof. (Dermatology), AIIMS, New Delhi	
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. (Prof.) Vijay Laxmi Nag, HoD (Microbiology), AIIMS, Jodhpur	
12.	Dr. Bhavesh Modi, Director, ICMR-National Institute of Occupational Health, Ahmedabad	
13.	Dr. Sanjeev Handa, Prof. & Head, Dermatology, Venereology, PGIMER, Chandigarh	
14.	Dr. Kuldeep Singh, Head (Paediatrics), AIIMS, Jodhpur	

Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Vijay Baghel, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 258(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-15012025-260239
16.	Smt. Jyotsna Charandas Mahant, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Devendra Pratap Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 259(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-15012025-260238

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/45/2024-PMSSY-IV(8294182)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.